छत्तीसगढ़ विधान सभा

पत्रक भाग - एक

संक्षिप्त कार्य विवरण

चतुर्थ विधान सभा दशम सत्र अंक-02

रायपुर, बुधवार, दिनांक 16 नवम्बर, 2016

(कार्तिक 25, शक संवत् 1938)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय (श्री गौरीशंकर अग्रवाल) पीठासीन हुए।)

कार्यवाही प्रारंभ होते ही श्री टी.एस.सिंहदेव, नेता प्रतिपक्ष ने बस्तर की स्थिति के संबंध में स्थगन प्रस्ताव पर विचार करने का आग्रह किया।

माननीय अध्यक्ष ने कथन किया कि सूचना विचाराधीन है।

1. प्रश्नकाल

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से प्रश्न संख्या 01 से 13 (कुल 13) प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये।

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नों के रूप में परिवर्तित 53 तारांकित एवं 63 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे ।

तारांकित प्रश्न संख्या 10 पर चर्चा के दौरान प्रश्नकर्ता सदस्य श्री देवजी भाई पटेल ने कथन किया कि उनके प्रश्न की विषय वस्तु बदल गई है, फिर भी वे अनुपूरक प्रश्न कर रहे हैं।

माननीय अध्यक्ष ने माननीय सदस्यों से अनुरोध किया कि जिस स्वरूप में प्रश्न ग्राह्य हुआ है उसी के अंतर्गत अनुपूरक प्रश्न करें।

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

श्री अजय चंद्राकर, संसदीय कार्य मंत्री ने -

(1) छत्तीसगढ़ भाड़ा नियंत्रण अधिनियम, 2011 (क्रमांक 19 सन् 2012) की धारा

13-क की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार अधिसूचना क्रमांक एफ 1-44/2014/32, दिनांक 5 अक्टूबर, 2016 द्वारा अधिसूचित छत्तीसगढ़ भाड़ा नियंत्रण अधिकरण (सदस्यों की नियुक्ति, अर्हता तथा पदावधि) नियम, 2016, तथा

(2) छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 85 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार -

(i) अधिसूचना क्रमांक एफ 7-18/2015/32, दिनांक 28 जुलाई, 2016

(ii) अधिसूचना क्रमांक एफ 1-20/2010/32, दिनांक 11 अगस्त, 2016, तथा

(iii) अधिसूचना क्रमांक एफ 7-30/2016/32, दिनांक 21 सितम्बर, 2016

पटल पर रखे।

श्री भूपेश बघेल, सदस्य ने बस्तर के विषय में दिए गए स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा कराए जाने की मांग की।

माननीय अध्यक्ष ने कथन किया कि वे किसी न किसी रूप में उस पर चर्चा करायेंगे।

3. ध्यानाकर्षण सूचना

(1) श्री टी.एस.सिंहदेव, सदस्य ने इंदिरा राजेश्वरी (उन्नत महामाया) धान प्रजाति की धान का बीज खराब होने से किसानों का नुकसान होने की ओर कृषि मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

(सभापति महोदय (श्री शिवरतन शर्मा) पीठासीन हुए।)

श्री तोखन साहू, संसदीय सचिव ने इस पर वक्तव्य दिया।

(2) श्री सत्यनारायण शर्मा, सदस्य ने प्रदेश में कृषि भूमि के नामांतरण पर रोक लगाये जाने की ओर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री गोवर्धन सिंह मांझी, संसदीय सचिव ने इस पर वक्तव्य दिया।

(अध्यक्ष महोदय (श्री गौरीशंकर अग्रवाल) पीठासीन हुए।)

4. बहिर्गमन

ध्यानाकर्षण क्र. 2 पर चर्चा के दौरान श्री टी.एस.सिंहदेव, नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के सदस्यों द्वारा शासन के उत्तर के विरोध में नारे लगाते हुए सदन से बहिर्गमन किया गया।

5. याचिकाओं की प्रस्तुति

माननीय सदस्यों की अनुपस्थिति के कारण याचिकाएं प्रस्तुत नहीं हुईं।

6. वर्ष 2016-2017 के द्वितीय अनुपूरक अनुमान का उपस्थापन

डॉ. रमन सिंह, मुख्यमंत्री ने वर्ष 2016-2017 के द्वितीय अनुपूरक अनुमान का उपस्थापन किया।

माननीय अध्यक्ष ने अनुपूरक अनुमान की मांगों पर चर्चा और मतदान के लिए गुरूवार, दिनांक 17 नवम्बर, 2016 की तिथि निर्धारित की।

7. शासकीय विधि विषयक कार्य

1. छत्तीसगढ़ भाड़ा नियंत्रण (संशोधन) विधेयक, 2016 (क्रमांक 23 सन् 2016)

श्री अजय चंद्राकर, संसदीय कार्य मंत्री ने छत्तीसगढ़ भाड़ा नियंत्रण (संशोधन) विधेयक, 2016 (क्रमांक 23 सन् 2016) पुर:स्थापित किया।

2. छत्तीसगढ़ लोक आयोग (संशोधन) विधेयक, 2016 (क्रमांक 25 सन् 2016)

डॉ. रमन सिंह, मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ लोक आयोग (संशोधन) विधेयक, 2016 (क्रमांक 25 सन् 2016) पुर:स्थापित किया।

3. छत्तीसगढ़ गौसेवा आयोग (संशोधन) विधेयक, 2016 (क्रमांक 26 सन् 2016)

श्री बृजमोहन अग्रवाल, पशुधन विकास मंत्री ने छत्तीसगढ़ गौसेवा आयोग (संशोधन) विधेयक, 2016 (क्रमांक 26 सन् 2016) पुर:स्थापित किया।

8.प्रस्ताव (चर्चा का पुनर्ग्रहण)

"यह सदन केन्द्र सरकार द्वारा लागू विमुद्रीकरण विषयक निर्णय का स्वागत करता है और मुद्रा को शुचितापूर्ण विनियमनों को प्रोत्साहित करने के सभी संस्थागत प्रयासों में सक्रिय सहयोग हेतु अपनी तत्परता व्यक्त करता है।"

प्रस्ताव की पुनर्ग्रहित चर्चा श्री भूपेश बघेल, सदस्य ने प्रारंभ की।

(उपाध्यक्ष महोदय (श्री बद्रीधर दीवान) पीठासीन हुए।)

(1.31 से 3.01 तक अंतराल)

(सभापति महोदय (श्री शिवरतन शर्मा) पीठासीन हुए।)

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-
सर्वश्री लाभचंद बाफना-संसदीय सचिव, धनेन्द्र साहू, देवजी भाई पटेल,

(अध्यक्ष महोदय (श्री गौरीशंकर अग्रवाल) पीठासीन हुए।)

डॉ.विमल चोपड़ा, सर्वश्री सत्यनारायण शर्मा, केशव चंद्रा, डॉ. (श्रीमती) रेणु जोगी, सर्वश्री श्रीचंद सुंदरानी, मोहन मरकाम, श्री अजय चंद्राकर-संसदीय कार्य मंत्री, श्री टी.एस. सिंहदेव-नेता प्रतिपक्ष।

(माननीय अध्यक्ष ने सदन की सहमति से कार्य सूची के पदक्रम (7) का कार्य पूर्ण होने तक सदन के समय में वृद्धि की घोषणा की।)

डॉ. रमन सिंह, मुख्यमंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

प्रस्ताव पर मत विभाजन हुआ।

प्रस्ताव के पक्ष में 41 विपक्ष में 25 मत प्राप्त हुए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

9. अध्यक्षीय व्यवस्था

सदन को स्मरण होगा कि कल दिनांक 15.11.2016 को केन्द्र सरकार के द्वारा लागू विमुद्रीकरण के निर्णय से उत्पन्न स्थिति पर प्रतिपक्ष के सदस्यों द्वारा स्थगन प्रस्ताव एवं शासन की ओर से भी एक प्रस्ताव केन्द्र सरकार के निर्णय के समर्थन स्वरूप प्राप्त हुआ था, जिसके संबंध में मैंने सदन में केन्द्र सरकार द्वारा लिये गये निर्णय से उत्पन्न स्थिति, निर्णय, कार्यान्वयन आदि विषय राज्य शासन से संबंधित नहीं होने के फलस्वरूप मैंने स्थगन प्रस्ताव की सूचना को अग्राह्य कर दिया था । मैंने अपनी व्यवस्था में यह भी उल्लेख किया था कि राज्य शासन की ओर से भी केन्द्र शासन के विमुद्रीकरण के निर्णय के समर्थन हेतु प्राप्त प्रस्ताव को मैंने ग्राह्य किया है ।

मेरी उपरोक्त व्यवस्था के पश्चात प्रतिपक्ष के अनेक सदस्यों ने मुझसे मेरी व्यवस्था पर पुनर्विचार करने का अनुरोध किया था । स्थगन प्रस्ताव के संबंध में पुनर्विचार के आग्रह के दौरान ही माननीय नेता प्रतिपक्ष ने एक प्रश्न सभा में रखा था कि जो प्रस्ताव पश्चात् आया उसका क्रम बदलकर क्रमांक 9 के बदले 8 में रखा गया और साथ ही यह भी कथन किया कि यदि यह विषय केन्द्र सरकार का है, इस आधार पर स्थगन प्रस्ताव नहीं आ सकता है तो राज्य शासन की ओर से प्रस्तुत प्रस्ताव भी नहीं आना चाहिये ।

माननीय नेता प्रतिपक्ष के उस कथन पर माननीय मंत्री श्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय ने भी यह तर्क प्रस्तुत किया था कि प्रतिपक्ष के द्वारा प्रस्तुत स्थगन प्रस्ताव और राज्य शासन द्वारा प्रस्तुत केन्द्र सरकार के नीति विषयक कार्यवाही का समर्थन, अलग-अलग विषय है ।

स्थगन प्रस्ताव राज्य शासन की नीतियों में विफलता को आधार बनाकर प्रस्तुत किया जा सकता है, वहीं नियमों के अंतर्गत केन्द्र शासन की किसी नीति का समर्थन पृथक नियमों के अंतर्गत प्रस्ताव के द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है ।

इस विषय पर माननीय नेता प्रतिपक्ष ने, अन्य बातें रखी थीं और मैंने तत्समय इस विषय पर अपनी व्यवस्था पश्चात् देने का कथन किया था ।

आज प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान माननीय सदस्य श्री सत्यनारायण शर्मा ने भी आरोपात्मक लहजे में मिलती-जुलती कुछ बातें रखीं ।

यह सभा राज्य शासन के क्षेत्राधिकार में आने वाले विषयों पर ही प्रक्रिया एवं कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियमों के अंतर्गत विषयों पर विचार-विमर्श कर सकती है ।

स्थगन प्रस्ताव के संबंध में नियमों में यह उल्लेख है कि वह हाल ही में घटित किसी विषय तक सीमित रहेगा । चूंकि स्थगन प्रस्ताव का विषय राज्य सरकार से संबंधित नहीं अपितु केन्द्र सरकार के द्वारा लिये गये निर्णय से संबंधित था । अतः स्थगन प्रस्ताव ग्राह्यता की परिधि में नहीं था । इसके साथ ही यह सभा केन्द्र सरकार के किसी निर्णय का समर्थन करने,

अनुरोध करने जैसे विषयों पर पूर्व में भी प्रस्ताव अथवा संकल्प के माध्यम से विनिश्चय करती रही है ।

उक्त परिप्रेक्ष्य में जब मुझे शासन की ओर से एक प्रस्ताव की सूचना दिनांक 15.11.2016 को प्रातः 8.00 बजे प्राप्त हुई । मैंने नियमों के प्रावधानों के अंतर्गत ही अनुपूरक कार्यसूची जारी करने के निर्देश देते हुये उसे सभा में चर्चा हेतु निर्धारित किया ।

मेरे विचार में यह बिन्दु भी था कि प्रतिपक्ष के माननीय सदस्य भी इस विषय पर सभा में चर्चा करना चाहते हैं किन्तु जिस नियम के अंतर्गत उन्होंने सूचना दी है, वह ग्राह्यता की परिधि में नहीं आती, अतः प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान प्रतिपक्ष के सदस्य भी अपने विचार व्यक्त कर सकेंगे ।

जहां तक क्रमांक 9 के पहले प्रस्ताव को लिये जाने का प्रश्न है, यह सदन सहमत होगा कि अनेकों अवसरों पर कार्यसूची में नियम 139 के अंतर्गत जारी अंतिम पद के रूप में सम्मिलित की जाती है और जब समयाभाव के कारण चर्चा आरंभ नहीं हो पाती है, तब उसे निरंतर आगामी कार्य दिवस की कार्यसूची में सम्मिलित किया जाता रहा है ।

यह सभा, सभा के द्वारा बनाये गये नियमों, प्रक्रियाओं तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत आसंदी के द्वारा संचालित की जाती है । मैं सदस्यों से यह अपेक्षा करता हूं कि सभा में आक्षेपजनक टिप्पणियों से बचें और यह सभा जो माननीय सदस्यों द्वारा ही गठित हुई है, इसकी गरिमा को बनाये रखें ।

सायं 6.40 बजे विधान सभा की कार्यवाही गुरूवार, दिनांक 17 नवंबर, 2016 (कार्तिक, 26 शक संवत् 1938) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई ।

देवेन्द्र वर्मा
प्रमुख सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा